22/5/24 उपखण्ड अधिकारी अनुपलब्धता की आवाज सम्बोधी गई। उपखण्ड अधिकारी अथवा उनकी क्रय उपलब्ध नहीं हुए। अतः प्रकरण अग्रिम तारीख पेशी में खारीज किया जाता है एवं जमानती बॉन्ड शुमार होकर नम्बर दे कर दी।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)